27

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 639/III/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.05.2002 पारित द्वारा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 1/2000-01 स्वमेव निगरानी

1- नारायण पुत्र श्री कानाराम
2- चन्दा बाई पत्नी श्री नारायण
निवासीगण-भाई मोहल्ला कस्बा,
श्योपुरकला तहसील व जिला श्योपुरकला (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1- म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर
2- हरीशंकर पुत्र श्री गजाधर गौड़
निवासी - खोजी पुरा तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)
3- विनोद कुमार गौड पुत्र श्री केदार लाल गौड
निवासीगण - गनपति रिसोर्ट शिवपुरी रोड,
वार्ड नं. 7 श्योपुर तहसील व
जिला श्योपुर (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक आवेदक
श्री वी.एन.त्यागी अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1
पूर्व से एक पक्षीय अनावेदक क्रमांक 2
श्री वीर सिह जादौन अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 3

आदेश

(आज दिनांक ..7.../06/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 1/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम खोजीपुरा तहसील श्योपुर में स्थित भूमि क्रमांक 86/1 रकवा 8 वीघा एवं 87/1 रकवा 9 वीघा भूमि पर आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य पर अंकित है, जिसपर वे कास्त करते चले आ रहे है। प्रश्नाधीन भूमि ककरीली उबड़ खाबड एवं अनुपजाऊ किस्म की होने से कोई फसल अच्छी पैदा नही होती वे वर्तमान में श्योपुर में निवास कर रहे है जहॉ से ग्राम खोजीपुरा लगभग 40 किलोमीटर दूर है इस कारण खोजीपुरा स्थित भूमि की देखभाल नहीं होने से फसल को नुकसान होता है इस प्रकार ग्राम गुबाडी की चरनोई भूमि सर्वे क्रमांक 219/3 रकवा 83 वीघा 5 विस्वा में से रकवा 17 वीघा का विनमय स्वीकार करने का अनुरोध किया। आवेदकगण के आवेदन पत्र पर अपर कलेक्टर श्योपुर ने तहसीलदार श्योपुरकला की ओर भेज कर जॉच प्रतिवेदन चाहा गया तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 310/95-96/बी-121 पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की ओर दिनांक 04.07.1996 को प्रतिवेदन भेजकर आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार

योग्य बताते हुये अपर कलेक्टर श्योपुर की ओर भेजा और अपर कलेक्टर श्योपुर ने दिनांक 27.03.1997 को आदेश पारित कर ग्राम गुवाडी तहसील श्योपुरकला की भूमि सर्वे क्रमांक 219/3 रकवा 83 वीघा 5 विस्वा में 17 वीघा को काबिल कास्त में परिवर्तित कर आवेदकगण को ग्राम खोजीपुरा तहसील श्योपुरकला में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 86/1 एवं 87/1 रकवा 17 वीघा का विनमय भूमि स्वामी स्वत्व पर स्वीकार किया गया इसके विरूद्ध आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण में अनियमितता पायी ज़ाने पर प्रकरण स्वमेव निगरानी मे पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 13.05.2002 को अपर कलेक्टर श्योपुर का आदेश दिनांक 27.03.1997 निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुये आदेश दिनांक 27.03.1997 पारित किया था जिसके संबंध में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण किसी भी व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण में स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जाना नितान्त अवैध है तथा इस प्रकरण में लम्बे समय पश्चात् स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया गया है, ऐसी स्थिति में भी आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश विधिवत् एवं उचित

नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपने आदेश में विधिवत् विचार करने के पश्चात् अपर कलेक्टर श्योपुर के आदेश को निरस्त किया है। अतः ऐसा आदेश विधिवत् एवं उचित है ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अनावेदक क्रमांक 2 प्रकरण में अनुपस्थित है ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध पूर्व से एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है, अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा बताया गया कि आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह विधिवत् एवं उचित है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्थिर रखते हुये वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7– उभय पक्षों के अभिभाषको के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा वर्तमान प्रकरण में विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुये भूमि का विनिमय स्वीकार किया गया था उक्त आदेश अपीलीय आदेश था इसके विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण उचित

नहीं है। जहॉ तक आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश का प्रश्न है तो उनके द्वारा वर्तमान प्रकरण को लम्बे समय पश्चात् स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है जबकि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रकरण स्वमेव निगरानी में अधिक समय बाद नहीं लिया सकता। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 392 उच्च.न्याया., 2010 आर.एन.273 उच्च न्याया., 2011 आर.एन.426, 2010 आर.एन.409 पूर्ण पीठ में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग-आदेश की अवैधता, अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिए - 180 दिन के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजरअंदाज कर जो आदेश आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2002 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/96-97/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 27.03.1997 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर